

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/1046

दिनांक - 08/05/19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 उत्तमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति पुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 मादाराम पुत्र हीरसिंह 2 जुगतसिंह पुत्र पर्वतसिंह 3 किशनसिंह 4 मदनसिंह 5 नरपतसिंह पिसरान खुशालसिंह 6 नेनुदेवी पत्नी खुशालसिंह 7 आमसिंह 8 उमेदसिंह 9 विजयसिंह 10 दलपतसिंह पिसरान शंकरसिंह 11 शान्तीदेवी पत्नी शंकरसिंह 12 भाणा पुत्र राणसिंह 13 तेजमालसिंह 14 हरीसिंह पिसरान गोपसिंह 15 नेनु देवी पत्नी गोपसिंह 16 किस्तुरसिंह 17 कुम्पसिंह 18 महादानसिंह पिसरान चिमसिंह 19 आसा पत्नी विरधसिंह 20 किशनसिंह पुत्र विरधसिंह 21 धाईदेवी पत्नी नारायणसिंह जाति पुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 11/2019 दिनांक- 08.05.2019

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 370/26 रकबा 45.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 08/05/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1047-50  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. उत्तमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति पुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मादाराम पुत्र हीरसिंह वगैराह जाति पुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर